न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :70 / 2024
जीसीएमएस संख्याः 2024 / 138
निर्णय दिनांक : 31.10.2025

1. श्रवण पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. नेमीचंद पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. लालीदेवी पत्नी बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4. भगवानी पुत्री बिरमाराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजागनढ जिला चूरू राजस्थानं
5. मन्नीदेवी पुत्री बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.......................वादीगण

बनाम

1. भागूराम उर्फ बागुराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादीगण

दावा बाबत प्राप्त करने डिकी घोषणात्मक कृषि भूमि
विभाजन एवं घोषणात्मक दफा 88,53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. वादीगण अधिवक्ता श्री विरेन्द्र पारीक।
2. प्रतिवादी सं0 1 अधिवक्ता श्री राजकुमार चायल
3. प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार राज।

—:निर्णयः—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू में खाता संख्या 109 हाल खसरा नंबर 330 तादादी 2.4025 हैक्टेयर बा.अ. व खसरा नंबर 41 तादादी 3.4394 है0 एवं खसरा नंबर 617 / 151 तादादी 0.6575 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 621 / 314 तादादी 0.1896 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6. 6890 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी संख्या 1 श्रवण का 1 / 10 हिस्सा वादी संख्या 2 नेमीचन्द का 1 / 10 हिस्सा व वादी संख्या 3 लालीदेवी का 1 / 10 हिस्सा एवं वादी संख्या 4 भगवानी का 1 / 10 हिस्सा व वादी संख्या 5 मन्नीदेवी का 1 / 10 हिस्सा एवं

प्रतिवादी संख्या 1 भागूराम उर्फ बागुराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी शामिल दावा पेश है। उपर्युक्त भूमि को वादगत भूमि कहा गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू के स्थाई निवासी है तथा काश्त पेशा व्यक्ति है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के व्यक्ति है। स्व0 रामुराम के वारिसस है जिनका वंश वृक्ष दावा में अंकित है।

भंवरीदेवी ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र त्याग कर दिया है। तथा वादीगण वादगत सम्पति में से 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 भी 1/2 हिस्से के खातेदार राजस्व रेकार्ड में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण संख्या 1 व 2 एवं वादी संख्या 4 व 5 का चाचा एवं वादीनी संख्या 3 का सगा देवर लगता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी वादगत सम्पति का बाहमी तौर पर बंटवारा भूमि की अच्छी व खराब किस्म आबादी से दूरी आदि समस्त बातों को देखकर आपसी सहमति से कर लिया जिसे मुताबिक हाल खसरा नंबर 41 वाके सीमा ग्राम खारिया बडा तादादी 3.4394 हैक्टेयर एवं हाल खसरा नंबर 617/151 तादादी 0.6575 गैर मुमकिन आबादी में से उतरादे पासे की 0.3287 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हक हिस्सा पांति में रखी गयी।

वादीगण खसरा नबर 41 में पुख्ता मकानात का निर्माण कर रिहायश करते है फसल बोते, लाटते चले आ रहे हैं तथा वादीगण के ही उपरोक्त खसरा नंबर 41 तादादी 3.4394 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 617/151 तादादी 0.6575 हैक्टेयर में उतरादे पासे की आधी 0.3287 हैक्टेयर भूमि कब्जा अधिकार स्वामित्व में है परन्तु वादीगण के कब्जा अधिकार स्वामित्व हिस्सा पांति में आई हुई भूमि होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में खातेदारी खसरा नंबर 41 में 1/2 हिस्सा होने एवं 617/151 के हक अधिकार हिस्सा पांति की भूमि होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में वादीगण अकेले की खातेदारी न होने से वादीगण अपने वाजिब कानूनी अधिकारों से वंचित हुए एवं वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह वाके सीमा ग्राम खारिया बडा के हाल खसरा नंबर 41 तादादी 3.4394 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं हाल खसरा नंबर 617/151 तादादी 0.6575 में से उतरादे पासे की 0.3287 हैक्टेयर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर वादीगण ब.हि.ब. अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाये।

वादगत सम्पति का शामिल खाता होने से वादीगण को अपने हिस्सा पांति के खेत में खाद डालने, वृक्ष लगाने, आधुनिक कृषि उत्पदन के संशोधनों का उपयोग करने, तारबन्दी करवाने, सरकारी योजनाओं का लाठा उठाने आदि बातों को लेकर विवाद रहता है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपने कब्जा, अधिकार स्वामितव की कृषि भूमि खसरा नंबर 41 तादादी 3.4394 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 617/151 तादादी 0.6575 हैक्टेयर में से उतरादे पासे की 0.3287 हैक्टेयर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा करवाकर अलग खाता व अलग लगान कायम करवाये। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा व कहलवाया कि वो तहसील में चलकर

वादीगण के हक, हिस्सा स्वामित्व की भूमि वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवादे एवं वादीगण के हक हिस्सा की भूमि का अलग खाता व अलग लगान कायम करवादे। पहले तो वह टालमटोल करता रहा परन्तु आखिरकार साफ इन्कार हो गया लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखासमत दावा है। बिनाय दावा वादीगण वादगत सम्पति में खातेदार काश्तकार होने से वादीगण को प्राप्त है। वादीगण ने निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि वाके सीमा ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ के हाल खसरा नंबर 41 तादादी 3.4394 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं हाल खसरा नंबर 617/151 तादादी 0.6575 में से उतरादे पासे की 0.3287 हैक्टेयर के वादीगण ब०हि०ब० खातेदार काबिज काश्तकार है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड शून्य व निष्प्रभावी है। हाल खसरा नंबर 41 तादादी 3.4394 हैक्टेयर एवं हाल खसरा नंबर 617/151 तादादी 0.6575 भूमि में से उतरादे पासे की 0.3287 का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर किया जाकर अकेले वादीगण के नाम खातेदारी ब०हि०ब० दर्ज की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 ने दिनांक 30.05.2025 को न्यायालय में हाजिर आकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे बात तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 कि ओर से तहसीलदार सुजानगढ़ ने दिनांक 12.09.2025 को राजहित निहित नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार

वादगत खसरा नम्बर 330 तादादी 2.4025 हैक्टेयर, ख0न0 41 तादादी 3.4394 हैक्टेयर, ख0न0 617/151 तादादी 0.6575 हैक्टेयर ख0न0 621/314 तादादी 0.1896 हैक्टेयर कुल किता चार कुल तादादी 6.6890 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रथम पक्ष का 1/2 हिस्सा एवं द्वितीय पक्ष का 1/2 हिस्सा है।

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का मौके पर अच्छी व खराब किस्म एवं भूमि की कीमत जोत की सुविधा आदि समस्त बातों का ध्यान में रखते हुये बाहमीतौर पर बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बाहमी बंटवारा ख0न0 41 तादादी 3.4394 हेक्टेयर प्रथम पक्ष के हक हिस्सा पॉति में ब.हि.ब. वादीगण के पक्ष में रखा गया है एवं ख०नं० 617/151 तादादी 0.6575 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 0.3287 हैक्टेयर प्रथम पक्ष वादीगण के नाम ब.हि.ब. उतरादे पासे की भूमि रखी गई है। ख0न0 330 तादादी 2.4025 हैक्टेयर व ख0न0 621/314 तादादी 0.1896 हैक्टेयर कुल किता दो कुल तादादी 2.5921 हैक्टेयर व ख०न० 617/151 तादादी 0.6575 हैक्टेयर मे से दिखनादे पासे की 1/2 हिस्सा यानि 0.3288 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 भागूराम उर्फ बागूराम के हक हिस्से पॉति में रखी गई है। उपरोक्त बंटवारा के अनुसार की प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष काबिज है एवं मौके पर सीमाये कायम कर रखी है। तथा उपरोक्तानुसार ही काश्त करते फसल बोते बांटते चले आ रहे है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा प्रथम पक्ष के हक हिस्सा पॉति में आई हुई भूमि प्रथम पक्ष वादीगण के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जाकर अलग खाता व अलग लगान कायम

किया जावें एवं इसी मुजब द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 भागूराम उर्फ बागूराम के नाम अकेले के विभाजन किया जाकर अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावें ।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एकमत होकर दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 330, 41, 617/151, 621/314 रोही ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ का मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

क्रमांक	पक्षकारान के नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा है0	मुताबिक राजीनामा हिस्सा पांति
1	1. श्रवण पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 2. नेमीचन्द पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 3. लाली देवी पत्नी बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 4. भगवानी पुत्री बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 5. मन्नीदेवी पुत्री बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा	41	3.4394	सम्पूर्ण खसरा ब. हि. ब.
		617/151	0.6575	0.3287 है0 उतरादे पासे की भूमि ब. हि. ब.
2	1. भागुराम उर्फ बागूराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बड़ा	330	2.4025	सम्पूर्ण खसरा
		621/314	0.1896	सम्पूर्ण खसरा
		617/151	0.6575	0.3288 है0 दिखनादे पासे की भूमि

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जाये।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर सरेआम़ में सुनाया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
(उपखण्ड अधिकारी)
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

दिनांक

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

श्रवण बनाम भागुराम आदि

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 70 सन 2024

जीसीएमएस संख्या 2024 / 138

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.................... हाजरी .... एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि खसरा नम्बर 330, 41, 617 / 151, 621 / 314 रोही ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ का मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

कमांक	पक्षकारान के नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा है0	मुताबिक राजीनामा हिस्सा पांति
1	1. श्रवण पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 2. नेमीचन्द पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 3. लाली देवी पत्नी बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 4. भगवानी पुत्री बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा 5. मन्नीदेवी पुत्री बिरमाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा	41	3.4394	सम्पूर्ण खसरा ब.टि.ब.
		617 / 151	0.6575	0.3287 है0 उतरादे पासे की भूमि ब.टि.ब.
2	1. भागुराम उर्फ बागूराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बड़ा	330	2.4025	सम्पूर्ण खसरा
		621 / 314	0.1896	सम्पूर्ण खसरा
		617 / 151	0.6575	0.3288 है0 दिखनादे पासे की भूमि

निर्णय की प्रति प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जाये।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 31 **माह** 10 **सन** 2025

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये